



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1605]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2016/आषाढ़ 7, 1938

No. 1605]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2016/ASHADHA 7, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2016

आय-कर

का.आ. 2226(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 9 और धारा 285क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उत्तीसवां संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में भाग 2 में उप भाग (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उप भाग अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :--

‘अ- कतिपय मामलों में आस्तियों के मूल्य का अवधारण और आय का प्रभजन।’

11पख : कतिपय मामलों में आस्तियों का उचित बाजार मूल्य— (1) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व (जिसे इसमें इसके पश्चात् “विदेशी कंपनी या निकाय” कहा गया है) द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारित मूर्त या अमूर्त आस्ति के उचित बाजार मूल्य की संगणन इस नियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) जहां कोई आस्ति विनिर्दिष्ट तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी का कोई शेयर है तो शेयर का उचित बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे शेयर की प्रेक्षणीय कीमत होगी :

परंतु जहां शेयर को शेयर धारण के एक भाग के रूप में धारित किया जाता है जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पूर्वोक्त कंपनी के संबंध में प्रबंधन या नियंत्रण का कोई अधिकार प्रदत्त करता है तो शेयर के उचित बाजार मूल्य का अवधारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

$$\text{उचित बाजार मूल्य} = (क+ख)/ग$$

जहां ;

क = मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए गए उसके शेयरों की प्रेक्षणीय कीमत के आधार पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण ;

ख = विनिर्दिष्ट तारीख को कंपनी के दायित्वों का बही मूल्य ;

ग = बकाया शेयरों की कुल संख्या ;

परंतु यह और कि जहां विनिर्दिष्ट तारीख को शेयरों को एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाता है वहां शेयर की प्रेक्षणीय कीमत की संगणना उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को निर्दिष्ट करते हुए की जाएगी, जो उस अवधि के दौरान, जिस पर कीमत के अवधारण के लिए विचार किया जाता है शेयर में अधिकतम व्यापार को अभिलिखित करता है।

(3) जहां आस्ति किसी भारतीय कंपनी का शेयर है जिसे विनिर्दिष्ट तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, शेयर का उचित बाजार मूल्य उस तारीख को उसका उचित बाजार मूल्य होगा जैसा कि किसी वाणिज्य बैंक या किसी लेखापाल द्वारा सनिकट कीमत के आधार पर और दायित्व द्वारा बढ़ोतरी द्वारा, यदि कोई हो, जिस पर ऐसे अवधारण पर विचार किया जाए, शेयरों के मूल्यांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन पद्धति के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(4) जहां आस्ति किसी भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संगम में कोई हित है तो उसके उचित बाजार मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :--

- (i) ऐसी फर्म या व्यक्तियों के संगम के विनिर्दिष्ट तारीख को मूल्य का अवधारण वाणिज्य बैंक या किसी लेखापाल द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन पद्धति द्वारा दायित्व में बढ़ोतरी द्वारा, यदि कोई हो, जिस पर ऐसे अवधारण के लिए विचार किया जाए, के अनुसार अवधारण किया जाएगा ;
- (ii) खंड (i) में संगणित मूल्य का भाग, जो उसकी पूंजी के समतुल्य है, को उसके भागीदारों या सदस्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित किया जाएगा जिसमें उनके द्वारा पूंजी का अंशदान किया गया है तथा मूल्य के अवशेष को भागीदारों या सदस्यों के बीच भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संगम के बीच फर्म या संगम के विघटन की दशा में किसी करार के अनुसार आवंटित किया जाएगा या ऐसे करार की अनुपस्थिति में उस अनुपात में, जिसमें भागीदार या सदस्य लाभ को बांटने के हकदार हैं और किसी भागीदार या सदस्य को आवंटित रकम की कुल राशि को, यथास्थिति, उस भागीदार या सदस्य के फर्म या व्यक्तियों के संगम में उचित बाजार मूल्य के रूप में मना जाएगा।

(5) उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) में निर्दिष्ट से भिन्न आस्ति का उचित बाजार मूल्य वह कीमत होगी जो उसे किसी वाणिज्य बैंक या किसी लेखापाल द्वारा उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी द्वारा, यदि कोई हो, जिस पर अवधारण में विचार किया जाए, विनिर्दिष्ट तारीख को खुले बाजार में विक्रय किए जाने पर उसे प्राप्त होगी।

(6) किसी विदेशी कंपनी या अस्तित्व की आस्ति के उचित बाजार मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) जहां विदेशी कंपनी या अस्तित्व के शेयर या हित का अंतरण ऐसे व्यक्तियों के बीच है, जो संबद्ध व्यक्ति नहीं है, ऐसे अंतरण के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को विदेशी कंपनी या

अस्तित्व के स्वामित्वाधीन सभी आस्तियों के उचित बाजार मूल्य का अवधारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

$$\text{सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य} = (क+ख)$$

जहां ;

क = शेयर या हित के अंतरण के लिए पूर्ण प्रतिफल के मूल्य के आधार पर संगणित विदेशी कंपनी या अस्तित्व का बाजार पूंजीकरण ;

ख = वाणिज्य बैंक या किसी लेखापाल द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को यथाप्रमाणित विदेशी कंपनी या अस्तित्व के दायित्वों का बही मूल्य ;

(ii) किसी अन्य दशा में,--

(क) विनिर्दिष्ट तारीख को विदेशी कंपनी या अस्तित्व के शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, विदेशी कंपनी या अस्तित्व के स्वामित्वाधीन सभी आस्तियों के उचित बाजार मूल्य का अवधारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

$$\text{सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य} = (क+ख)$$

जहां ;

क = स्टॉक एक्सचेंज में, जहां विदेशी कंपनी या अस्तित्व के शेयर सूचीबद्ध हैं में शेयरों की प्रेक्षणीय कीमत के आधार पर संगणित विदेशी कंपनी या अस्तित्व का बाजार पूंजीकरण ;

ख = विनिर्दिष्ट तारीख को विदेशी कंपनी या अस्तित्व के दायित्वों का बही मूल्य ;

परंतु जहां विनिर्दिष्ट तारीख को शेयर एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, पूर्वोक्त सूत्र में प्रेक्षणीय कीमत उस स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में जो उस अवधि के दौरान, जिस पर कीमत का अवधारण करने के लिए विचार किया जाता है शेयर में अधिकतम व्यापार को अभिलिखित करता है, होगी ।

(ख) विदेशी कंपनी या अस्तित्व के शेयर विनिर्दिष्ट तारीख को किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, विदेशी कंपनी या अस्तित्व के स्वामित्वाधीन सभी आस्तियों के मूल्य का अवधारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा अर्थात् :--

$$\text{सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य} = (क+ख)$$

जहां ;

क = किसी वाणिज्य बैंक या लेखापाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन पद्धति के अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख को अवधारित विदेशी कंपनी या अस्तित्व का उचित बाजार मूल्य ;

ख = क में उचित बाजार मूल्य के अवधारण के लिए विचार किया गया कंपनी या अस्तित्व के दायित्वों का मूल्य, यदि कोई हो ।

(7) जहां, उचित बाजार मूल्य का अवधारण स्पष्टीकरण के खंड (iX) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी अंतरिम तुलन पत्र के आधार पर किया जाता है, वहां उचित बाजार मूल्य को समुचित रूप से सुसंगत विधियों के अनुसार सुसंगत वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देने के पश्चात् उपांतरित किया जाएगा और इस नियम और नियम 11पग और नियम 114घख के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(8) भारत में अवस्थित किसी आस्ति, जो किसी भारतीय कंपनी का शेयर है या किसी भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संगम में कोई हित है, के उचित बाजार मूल्य का अवधारण के प्रयोजनों के लिए उक्त कंपनी या भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संगम की सभी आस्तियों और कारबार प्रचालनों को, इस बात के होते हुए भी कि आस्तियां या कारबार प्रचालन भारत में या भारत से बाहर अवस्थित हैं, गणना में लिया जाएगा।

(9) भारत में अवस्थित आस्तियों के मूल्य की विदेशी मुद्रा में संगणना करने के लिए विनिमय दर, जिसे रूपए में अभिव्यक्त किया गया है, विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी मुद्रा को क्रय करने की बेतार अंतरण दर होगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम और नियम पग के प्रयोजनों के लिए—

(i) “लेखापाल” से धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट लेखापाल अभिप्रेत है और उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए इसके अंतर्गत उस देश की सरकार द्वारा ऐसे मूल्यांकन को करने के लिए मान्यताप्राप्त मूल्यांकक सम्मिलित है जहां विदेशी कंपनी या अस्तित्व या उसके कोई अभिकरण रजिस्ट्रीकृत या निगमित है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है अर्थात् :-

(क) यदि वह किसी अस्तित्व का सदस्य या भागीदार है, जो लेखाकरण या मूल्यांकन सेवाओं में लगा हुआ है तब,--

i अस्तित्व या उसके संबद्ध की दो से अधिक देशों में उपस्थिति है ; और

ii उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में, जिसमें मूल्यांकन किया गया था, अस्तित्व की प्राप्ति दस करोड़ रूपए से अधिक है ;

(ख) यदि वह व्यष्टिक रूप से लेखाकरण की वृत्ति कर रहा है या मूल्यांकक है तब,--

i उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में, जिसमें मूल्यांकन किया गया है, वृत्ति से वार्षिक प्राप्ति एक करोड़ रूपए से अधिक है ; और

ii उसके पास दस वर्ष से अधिक का वृत्तिक अनुभव है।

(ii) “संबद्ध व्यक्ति” का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 102 के खंड (4) में है ;

(iii) “प्रबंधन या नियंत्रण का अधिकार” में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने का या प्रबंधन को या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्यष्टिक रूप से या समूह में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोक्तव्य नीति विनिश्चयों को नियंत्रित करने का अधिकार सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत शेयर धारण या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के करार या मतदान करार या कोई अन्य रीति सम्मिलित है ;

(IV) “बेतार अंतरण क्रय दर” का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 26 के स्पष्टीकरण में है ;

(v) किसी स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए गए शेयर के संबंध में “प्रेक्षणीय कीमत” निम्नलिखित में से उच्चतर होगी :-

(क) विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के दौरान उक्त स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए गए शेयरों की बंद कीमत के साप्ताहिक उच्च और निम्न कीमत का औसत; या

(ख) विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के दौरान उक्त स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए गए शेयरों की बंद कीमत के दो सप्ताह के दौरान उच्च और निम्न कीमत का औसत ;

(vi) “दायित्वों का वही मूल्य” से यथास्थिति, कंपनी या अस्तित्व के तुलन-पत्र में यथा उपदर्शित दायित्वों का मूल्य अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत साम्या शेयरों या सदस्यों के हित के संबंध में संदत्त पूंजी और संदत्त पूंजी से संबंधित साधारण आरक्षितियां तथा आधिक्य और प्रतिभूति प्रीमियम नहीं है;

(vii) “विनिर्दिष्ट तारीख” का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 6 के खंड (घ) में है ;

(viii) “वाणिज्य बैंकर” और “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” पदों का वही अर्थ होगा जो उनका नियम 11प में है ;

(ix) “तुलन-पत्र” से,--

(क) किसी भारतीय कंपनी के संबंध में विनिर्दिष्ट तारीख को तैयार किया गया ऐसी कंपनी का तुलन-पत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध टिप्पणियां और लेखाओं का भाग सम्मिलित है) अभिप्रेत है, जो कंपनियों से संबंधित प्रवृत्त विधियों के अधीन नियुक्त कंपनी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया गया है ; और

(ख) किसी अन्य मामले में, विनिर्दिष्ट तारीख को तैयार किया गया कंपनी या अस्तित्व का तुलन-पत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध टिप्पणियां और लेखाओं का भाग सम्मिलित है) अभिप्रेत है और जिसे उस देश की प्रवृत्त विधियों के अधीन जिसमें विदेशी कंपनी या अस्तित्व रजिस्ट्रीकृत या निगमित है, भारत से बाहर सुसंगत प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है ;

परंतु विनिर्दिष्ट तारीख को लेखाओं के अंतिम रूप के लंबन के कारण तुलन-पत्र तैयार नहीं किया गया है, जैसा खंड (क) और खंड (ख) में वर्णित है, तुलन-पत्र से विनिर्दिष्ट तारीख को तैयार और कंपनी के निदेशक बोर्ड या अन्य अस्तित्व की दशा में समतुल्य निकाय द्वारा अनुमोदित अंतरिम तुलन-पत्र अभिप्रेत है :

परंतु यह और कि जहां विनिर्दिष्ट तारीख धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 6 के खंड (घ) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट तारीख है तो तुलन-पत्र से विनिर्दिष्ट तारीख को तैयार किया गया और किसी लेखापत्र द्वारा प्रमाणित तुलन-पत्र अभिप्रेत है ;

11पग. भारत में आस्तियों से हुई आय का अवधारण- (1) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट कंपनी या निकाय के शेयर या हित के अंतरण से भारत में अवस्थित आस्तियों को हुई आय का अवधारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

$$क \times \frac{ख}{ग}$$

जहां ;

क = कंपनी या अस्तित्व के शेयर या हित के अंतरण से आय की संगणना अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की गई है मानो ऐसा शेयर या हित भारत में अवस्थित है ।

ख = विनिर्दिष्ट तारीख को भारत में अवस्थित आस्तियों के उचित बाजार मूल्य, जिनसे क में निर्दिष्ट शेयर या हित अपना सारवान मूल्य उदभूत कर रहा है, की संगणना नियम 11पख के अनुसार की जाएगी ।

ग = विनिर्दिष्ट तारीख को कंपनी या अस्तित्व की सभी आस्तियों के उचित बाजार मूल्य की संगणना नियम 11पख के अनुसार की जाएगी :

परंतु यदि कंपनी या अस्तित्व में शेयर या हित का अंतरक उससूचना को उपलब्ध कराने में असफल रहता है जो पूर्वोक्त सूत्र को लागू करने के लिए अपेक्षित है तब भारत में अवस्थित आस्तियों से ऐसे शेयर या हित से आय का अवधारण ऐसी रीति में किया जाएगा, जो निर्धारण अधिकारी उपयुक्त समझे।

(2) किसी कंपनी या अस्तित्व में शेयर या हित का अंतरक जो अपना सारवान मूल्य भारत में अवस्थित आस्ति से उद्भूत कर रहा है, आय की विवरणी के साथ किसी लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित प्ररूप सं. 3गन में एक रिपोर्ट अभिप्राप्त और प्रस्तुत करेगा जिसमें सूत्र के अनुसार प्रभजन के आधार को दर्शित किया जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा कि भारत में अवस्थित आस्तियों से आय की सही रूप से संगणना की गई है।

3. उक्त नियम 114घक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :--

‘114घख. धारा 285क के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचना या दस्तावेज-- (1) धारा 285क में निर्दिष्ट प्रत्येक भारतीय समुत्थान उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए इस नियम के अनुसार सूचना और दस्तावेज रखेगा और प्रस्तुत करेगा।

(2) भारतीय समुत्थान के ऊपर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररूप सं. 49घ में उस वित्त वर्ष की समाप्ति से 90 दिन के भीतर, जिसे धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व (इसे इसमें इसके पश्चात् “विदेशी कंपनी या अस्तित्व” कहा गया है) के किसी शेयर या हित का अंतरण किया जाता है सूचना प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह कि जहां किसी शेयर या हित के संबंध में संव्यवहार का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभाव भारतीय समुत्थान के संबंध में प्रबंधन या नियंत्रण के अंतरण का है तो उक्त प्ररूप में सूचना संव्यवहार के 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(3) भारतीय समुत्थान निम्नलिखित को यदि दस्तावेज मूल रूप में विदेशी भाषाओं में तैयार किए गए हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद के साथ रखेगा और उन्हें जब उनकी उपनियम (2) के अधीन

प्रस्तुत सूचना को सिद्ध करने के लिए आग्रकर प्राधिकारी द्वारा मांग की जाए, प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :--

- (i) मध्यवर्ती नियंत्री कंपनी या अस्तित्व, मध्यवर्ती नियंत्री कंपनी या कंपनियों या अस्तित्व या अस्तित्वों और अंतिम नियंत्री कंपनी या भारतीय समुत्थान के अस्तित्व के व्यौरे ;
- (ii) उस समूह के भारत में अन्य अस्तित्वों के व्यौरे, जिनका भारतीय समुत्थान एक घटक है ;
- (iii) अंतरण से पूर्व और पश्चात् विदेशी कंपनी के शेयरों या हित कीधृति का ढांचा ;
- (iv) किसी विदेशी कंपनी या अस्तित्व, जो भारतीय समुत्थान के माध्यम से या उसमें किसी आस्ति को धारण करता है, में शेयर या हित के संबंध में किए गए किसी अंतरण संविदा या करार के व्यौरे ;
- (v) विदेशी कंपनी या अस्तित्व के वित्तीय और लेखांकन विवरण, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारतीय समुत्थान के माध्यम से या उसमें शेयर या हित के अंतरण की तारीख से दो वर्ष पूर्व किसी आस्ति को धारण करता है ;
- (vi) अंतरण के समग्र इंतजाम की प्रक्रिया के विनिश्चय या कार्यान्वयन के संबंध में सूचना ;
- (vii) निम्नलिखित के संबंध में विदेशी कंपनी या अस्तित्व और उसकी अनुषंगियों की सूचना,--
 - (क) कारबार प्रचालन ;
 - (ख) कार्मिक ;

(ग) वित्त और संपत्तियां ;

(घ) आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा या मूल्यांकन रिपोर्ट यदि कोई हो, जो शेयर या हित के संबंध में विचारण का आधार बनती है ;

(viii) अंतरित किए जा रहे शेयर या हित की अवस्थिति के स्थान पर अवधारण करने के लिए आस्ति मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य सहायक साक्ष्य ;

(ix) भारत से बाहर कर के संदाय के ब्यौरे, जो शेयर या हित के अंतरण से संबंधित है ;

(x) किसी वाणिज्य बैंकर या लेखापाल द्वारा समर्थनकारी साक्ष्य के साथ सम्यक्तः प्रमाणित भारतीय आस्तियों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट और कुल आस्तियां ;

(xi) अनुसरण की जाने वाली लेखाकरण पद्धतियों के अधीन संव्यवहारों के संबंध में जारी दस्तावेज ।

(4) जहां एक से अधिक भारतीय समुत्थान हैं, जो किसी समूह के घटक अस्तित्व हैं सूचना किसी एक भारतीय समुत्थान द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, यदि,—

(i) समूह ने ऐसे भारतीय समुत्थान को सभी अन्य भारतीय समुत्थानों जो समूह के संघटक हैं, की ओर से सूचना प्रस्तुत करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है और

(ii) नामनिर्दिष्ट भारतीय समुत्थान के संबंध में सूचना समूह की ओरसे लिखित में निर्धारण अधिकारी को दी गई है :

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात का प्रभाव नहीं होगा यदि नामनिर्दिष्ट भारतीय समुत्थान इस नियम के उपबंधों के अनुसार सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

(5) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप सं. 49घ को इलैक्ट्रानिकी रूप में फाइल करने की प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार प्रस्तुत सूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियों को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(6) उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज सुसंगत निर्धारण वर्ष की समप्ति से आठ वर्ष की अवधि के लिए रखे और अनुरक्षित किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “अस्तित्व” का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 286 की उपधारा (9) के खंड(घ) में है ;

(ii) “समूह” का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (ङ) में है ;

(iii) “मध्यवर्ती नियंत्री कंपनी या अस्तित्व” से कोई कंपनी या कोई अस्तित्व अभिप्रेत है जिसका किसी अन्य कंपनी या अस्तित्व में नियंत्रण हित है और वह स्वयं किसी अन्य कंपनी या अस्तित्व द्वारा नियंत्रित है या उसकी अनुषंगी है ;

(iv) “तुरंत नियंत्री कंपनी या अस्तित्व” से कंपनी या अस्तित्व अभिप्रेत है जो भारतीय समुत्थान में नियंत्री हितों को प्रत्यक्षतः बनाए रखता है ;

(v) “अंतिम नियंत्री कंपनी या अस्तित्व” से कोई कंपनी या कोई अस्तित्व अभिप्रेत है जिसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारतीय समुत्थान पर अंतिम नियंत्रण है और ऐसी कंपनी या

अस्तित्व स्वयं किसी अन्य कंपनी या अस्तित्व द्वारा नियंत्रित नहीं होता है या उसका अनुषंगी नहीं है।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 2 में,--

(क) प्ररूप सं. 3 गध के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :--

“प्ररूप सं. 3 गन

[देखें नियम 11 पग]

**आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 9 के अधीन
भारत में अवस्थित आस्तियों से आय**

* मैंने/हमने मैसर्स *(निर्धारिती का नाम और पता) के लेखाओं और अभिलेखों की जांच कर ली है, जिनकी पैन संख्या है, जो के शेयरों या में हित के अंतरक हैं (भारत से बाहर निगमित कंपनी या अस्तित्व का नाम) # जिसे को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट किया गया है।

* मैंने/हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं, जो मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार निर्धारिती की भारत से बाहर अवस्थित आस्तियों से आय का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

* मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारिती को पूर्वोक्त वर्णित कंपनी / अस्तित्व * में शेयर/हित * के अंतरण से भारत में उद्भूत या उत्पन्न आय रुपए है, जिसकी इस प्ररूप के उपाबंध में दिए गए ब्यौरों के आधार पर गणना की गई है। मेरी/हमारी * राय में और मेरी/हमारी * सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे / हमें * दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबंध में दी गई विशिष्टियां सय और सही हैं।

तारीख

हस्ताक्षर

लेखापाल

सदस्यता संख्या

टिप्पणियां :

1. * जो लागू न हों उसे काट दें।
2. ** यहां नाम और पता दें।
3. ## यह रिपोर्ट धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा दी जानी है।
4. # यदि अंतरण किसी एक से अधिक कंपनी या अस्तित्व में किसी पूर्ववर्ती वर्ष में शेयरों या हित का है तो प्रत्येक ऐसी कंपनी या अस्तित्व के संबंध में ब्यौरे दिए जाने हैं।
5. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी मामले का उत्तर नकारात्मक या किसी शर्त के साथ दिया जाता है तो रिपोर्ट में उसके कारणों का कथन किया जाएगा।

उपाबंध

1. शेयर या हित के अंतरण के लिए प्राप्त प्रतिफल का कंपनी / अस्तित्ववार विभाजन

क्रम सं.	कंपनी/अस्तित्व का नाम	अंतरित शेयर/ हित की मात्रा	शेयर /हित के अर्जन की लागत	अंतरण की तारीख	प्राप्त प्रतिफल

2. शेयर या हित के अंतरण से उद्भूत आय : (कंपनी / अस्तित्ववार ब्यौरे) रुपए

3. भारत में अवस्थित आस्तियों का मूल्य, जिनसे शेयर या हित अपना मूल्य उद्भूत करते हैं : (कंपनी / अस्तित्ववार ब्यौरे) रुपए

4. कंपनी या अस्तित्व की वैश्विक आस्तियों का मूल्य : (कंपनी / अस्तित्ववार ब्यौरे) रुपए

5. भारत में अवस्थित आस्तियों से आय : (कंपनी / अस्तित्ववार विभाजन और समग्र) रुपए

6. मद 3 और मद 4 में आस्तियों के मूल्य के लिए नियोजित विधि के ब्यौरे

7. दस्तावेजों और मूल्यांकन रिपोर्ट यदि कोई हैं, जिस पर निर्भर किया गया है, के ब्यौरे

8. टिप्पणियां, जिसके अंतर्गत की गई उपधारणा है ।;

(ख) प्ररूप 49ग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :--

“प्ररूप सं. 49घ

[देखें नियम 114घख]

धारा 285क के अधीन किसी भारतीय समुत्थान द्वारा प्रस्तुत सूचना और दस्तावेज

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....

.....

भाग क

1.	भारतीय समुत्थान का नाम और पता	
2.	प्रास्थिति [क्या कंपनी, सीमित दायित्व भागीदारी/फर्म/स्थायी स्थापन आदि है]	
3.	आवासीय प्रास्थिति	
4.	स्थायी लेखा संख्यांक	
5.	पूर्व वर्ष	
6.	निर्धारण वर्ष	
7.	क्या भारतीय समुत्थान को समूह की ओर से सूचना देने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है : यदि हां,--	हां/नहीं

	(i) सभी भारतीय समुत्थानों के ब्यौरे दें, जो समूह के घटक हैं : (क) नाम (ख) पैर (ग) पता (ii) यदि सूचना किसी भारतीय समुत्थान की ओर से प्रस्तुत की जा रही है तो ऐसे समुत्थान के ब्यौरे (क) नाम (ख) पैर (ग) पता	
8.	तुरंत नियंत्री निकाय, मध्यवर्ती नियंत्री निकाय और अंतिम नियंत्री निकाय के ब्यौरे,-- (अ) तुरंत नियंत्री निकाय :-- (क) नाम (ख) निगमन का देश (ग) वह देश, जिसमें वह कर निवासी है (आ) मध्यवर्ती नियंत्री निकाय :-- (क) नाम (ख) निगमन का देश (ग) वह देश, जिसमें वह कर निवासी है (इ) अंतिम नियंत्री निकाय :-- (क) नाम (ख) निगमन का देश (ग) वह देश, जिसमें वह कर निवासी है	
9.	(क) क्या किसी कंपनी के शेयर या किसी निकाय में हित का मूल्यंकन भारत में अवस्थित आस्तियों के सारवान मूल्यांकन से किया गया है जिन्हें किसी भारतीय समुत्थान में या उसके माध्यम से धृत किया गया है; (ख) यदि हां, तो कंपनी (कंपनियों) या निकाय (निकायों) के ब्यौरे दें ।	हां / नहीं

भाग ख

[प्रबंधन या नियंत्रण अधिकार के अंतरण के पारिणामिक संव्यवहार का रिपोर्ट किए जाने के लिए भरा जाएगा]

10.	क्या 9 में निर्दिष्ट किसी कंपनी या निकाय के शेयर या हित की बाबत किसी संव्यवहार का प्रभाव भारतीय समुत्थान के प्रबंधन या उस पर नियंत्रण के अधिकार के अंतरण के रूप में हुआ है यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :-- (i) कंपनी या निकाय का नाम (ii) संव्यवहार के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल है (iii) अंतरक का पता सहित नाम (iv) अंतरित शेयर / हित का प्रतिशत, जिसके अंतर्गत अंतरण से पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के दौरान अंतरक की प्रतिशत धृति है (v) अंतरक का पता सहित ब्यौरा (vi) अंतरण से पूर्व और पश्चात् कंपनी या निकाय में शेयरों या हितके संबंध में धृति ढांचा (vii) कंपनी या निकाय के वित्तीय और लेखांकन विवरण (viii) अंतरित किए जा रहे शेयर या हित के अवस्थान का अवधारण करने का आधार (ix) अंतरण की तारीख से तुरंत पूर्व भारतीय समुत्थान की आस्तियों का मूल्य और विभाजन (x) कंपनी या निकाय की आस्तियों के मूल्यांकन का आधार (xi) मद (viii) और मद (x) के संबंध में समर्थनकारी दस्तावेजों के ब्यौरे	हां / नहीं
-----	---	------------

भाग ग

[पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान शेयर/हित के अंतरण के संबंध में सूचना की रिपोर्ट करने के लिए भरा जाना है]

11.	(क) क्या 9 में निर्दिष्ट कंपनी के शेयर या निकाय में हित का पूर्व वर्ष के दौरान अंतरण किया गया है, जिससे आय का धारा 9(1) के उपबंधों के अधीन भारत में उद्भूत हुई समझा गया है। (ख) यदि हां तो ब्यौरे दें। (i) कंपनी या निकाय का नाम (ii) संव्यवहार (संव्यवहारों) के ब्यौरे (iii) अंतरक का नाम सहित पता (iv) अंतरित किए जा रहे शेयर / हित का प्रतिशत, जिसके अंतर्गत अंतरण के पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के दौरान अंतरक का धृति प्रतिशत है	हां / नहीं
-----	---	------------

	(v) कंपनी या निकाय की कुल आस्तियों का मूल्य (vi) अंतरिती का पता सहित ब्यौरा	
12.	क्या 9 में निर्दिष्ट किसी कंपनी या निकाय के शेयर या हित की बाबत किसी संव्यवहार का प्रभाव भारतीय समुत्थान के प्रबंधन या उस पर नियंत्रण के अधिकार के अंतरण के रूप में हुआ है यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :-- (i) कंपनी या निकाय का नाम (ii) संव्यवहार के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत प्रतिफल है (iii) अंतरक का पता सहित नाम (iv) अंतरित शेयर / हित का प्रतिशत, जिसके अंतर्गत अंतरण से पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के दौरान अंतरक की प्रतिशत धृति है (v) अंतरक का पता सहित ब्यौरा (vi) क्या संव्यवहार के संबंध में प्ररूप 49घ प्रस्तुत किया गया था यदि हां, तो प्ररूप 49घ प्रस्तुत करने की तारीख / / यदि नहीं,-- (क) प्ररूप 49घ न प्रस्तुत करने के कारण (ख) निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें : (i) अंतरण से पूर्व और पश्चात् कंपनी या निकाय में शेयरों या हित के संबंध में धृति चार्ट (ii) कंपनी या निकाय के वित्तीय और लेखांकन विवरण (iii) कंपनी या निकाय के शेयर या हित के अवस्थान का अवधारण करने का आधार (iv) अंतरण की तारीख से तुरंत पूर्व भारतीय समुत्थान की आस्तियों का मूल्य और विभाजन	हां / नहीं
13.	भारतीय समुत्थान की आस्तियों का मूल्य और विभाजन,-- (i) वर्ष के आरंभ में (ii) वर्ष के अंत में	
14.	मद 11(v), मद 12(ख)(iii), मद (iv) और मद 13 के संबंध में समर्थनकारी दस्तावेजों के ब्यौरे	

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

सत्यापन

मैं, (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री श्री उपरोक्त वर्णित भारतीय समुत्थान की ओर से जिसका स्थायी लेखा संख्यांक है, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्ररूप में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा उसमें उपदर्शित अन्य विशिष्टियाँ सत्य कथित की गई हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं इस प्ररूप को की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं यह प्रस्तुति करने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ।

आज तारीख को सत्यापित।

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

[अधिसूचना सं. 55/2016 (फा.सं. 142/26/2015-टीपीएल)]

नीरज कुमार, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2213 (अ) तारीख 27/06/2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2016

INCOME-TAX

S.O. 2226(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 and section 285A, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. (1) These rules may be called the Income-tax (19th Amendment), Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in Part II, after sub-part H, the following sub-part shall be inserted, namely: -

“I- Determination of value of assets and apportionment of income in certain cases.

11UB.Fair market value of assets in certain cases.—(1) The fair market value of asset, tangible or intangible, as on the specified date, held directly or indirectly by a company or an entity registered or incorporated outside India (hereafter referred to as “foreign company or entity”), for the purposes of clause (i) of sub-section (1) of section 9, shall be computed in accordance with the provisions of this rule.

(2) Where the asset is a share of an Indian company listed on a recognised stock exchange on the specified date, the fair market value of the share shall be the observable price of such share on the stock exchange:

Provided that where the share is held as part of the shareholding which confers, directly or indirectly, any right of management or control in relation to the aforesaid company, the fair market value of the share shall be determined in accordance with the following formula, namely :-

$$\text{Fair market value} = (A+B) / C$$

Where;

A= the market capitalisation of the company on the basis of observable price of its shares quoted on the recognised stock exchange;

B= the book value of liabilities of the company as on the specified date;

C= the total number of outstanding shares:

Provided further that where, on the specified date, the share is listed on more than one recognised stock exchange, the observable price of the share shall be computed with reference to the recognised stock exchange which records the highest volume of trading in the share during the period considered for determining the price.

(3) Where the asset is a share of an Indian company not listed on a recognised stock exchange on the specified date, the fair market value of the share shall be its fair market value on such date as determined by a merchant banker or an accountant in accordance with any internationally accepted valuation methodology for valuation of shares on arm's length basis as increased by the liability, if any, considered in such determination.

(4) Where the asset is an interest in a partnership firm or an association of persons, its fair market value shall be determined in the following manner, namely:-

- (i) the value on the specified date of such firm or association of persons, shall be determined by a merchant banker or an accountant in accordance with any internationally accepted valuation methodology as increased by the liability, if any, considered in such determination ;
- (ii) the portion of the value computed in clause (i) as is equal to the amount of its capital shall be allocated among its partners or members in the proportion in which capital has been contributed by them and the residue of the value shall be allocated among the partners or members in accordance with the agreement of partnership firm or association of persons for distribution of assets in the event of dissolution of the firm or association, or, in the absence of any such agreement, in the proportion in which the partners or members are entitled to share profits and the sum total of the amount so allocated to a partner or member shall be treated as the fair market value of the interest of that partner or member in the firm or the association of persons, as the case may be.

(5) The fair market value of the asset other than those referred to in sub-rules (2), (3) and (4) shall be the price it would fetch if sold in the open market on the specified date as determined by a merchant banker or an accountant as increased by the liability, if any, considered in such determination.

(6) The fair market value of all the assets of a foreign company or an entity shall be determined in the following manner, namely:-

- (i) where the transfer of share of, or interest in, the foreign company or entity is between the persons who are not connected persons, the fair market value of all the assets owned by the

foreign company or the entity as on the specified date, for the purpose of such transfer, shall be determined in accordance with the following formula, namely:-

Fair market value of all assets = A+B

Where;

A = Market capitalisation of the foreign company or entity computed on the basis of the full value of consideration for transfer of the share or interest;

B = book value of the liabilities of the company or the entity as on the specified date as certified by a merchant banker or an accountant;

(ii) in any other case, if, -

(a) the share of the foreign company or entity is listed on a stock exchange on the specified date, the fair market value of all the assets owned by the foreign company or the entity shall be determined in accordance with the following formula, namely:-

Fair market value of all the assets = A+B

Where;

A = Market capitalisation of the foreign company or entity computed on the basis of the observable price of the share on the stock exchange where the share of the foreign company or the entity is listed;

B = book value of the liabilities of the company or the entity as on the specified date;

Provided that where, as on the specified date, the share is listed on more than one stock exchange, the observable price in the aforesaid formula shall be in respect of the stock exchange which records the highest volume of trading in the share during the period considered for determining the price;

(b) the share in the foreign company or entity is not listed on a stock exchange on the specified date, the value of all the assets owned by the foreign company or the entity shall be determined in accordance with the following formula, namely :-

Fair market value of all the assets = A+B

Where;

A = fair market value of the foreign company or the entity as on the specified date as determined by a merchant banker or an accountant as per the internationally accepted valuation methodology;

B = value of liabilities of the company or the entity if any, considered for the determination of fair market value in A.

(7) Where fair market value has been determined on the basis of any interim balance sheet referred to in the first proviso to clause (ix) of the Explanation, then the fair market value shall be appropriately modified after finalisation of the relevant financial statement in accordance with the applicable laws and all the provisions of this rule and rules 11UC and 114DB shall apply accordingly.

(8) For determining the fair market value of any asset located in India, being a share of an Indian company or interest in a partnership firm or association of persons, all the assets and business operations of the said company or partnership firm or association of persons shall be taken into account irrespective of whether the assets or business operations are located in India or outside.

(9) The rate of exchange for the calculation in foreign currency, of the value of assets located in India and expressed in rupees shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency as on the specified date.

Explanation: For the purposes of this rule and rule 11UC, -

(i) “accountant” means an accountant referred to in the Explanation to sub-section (2) of section 288 and for the purposes of sub-rule (6) includes any valuer recognised for undertaking similar valuation by the Government of the country where the foreign company or the entity is registered or incorporated or any of its agencies, who fulfils the following conditions, namely :-

(a) if he is a member or partner in any entity engaged in rendering accountancy or valuation services then,-

(i) the entity or its affiliates has presence in more than two countries; and

(ii) the annual receipt of the entity in the year preceding the year in which valuation is undertaken exceeds ten crore rupees;

(b) if he is pursuing the profession of accountancy individually or is a valuer then,-

(i) his annual receipt in the year preceding the year in which valuation is undertaken, from the exercise of profession, exceeds one crore rupees ; and

(ii) he has professional experience of not less than ten years.

(ii) “connected person” shall have the meaning as assigned to it in clause (4) of section 102;

(iii) “right of management or control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decision exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;

(iv) “telegraphic transfer buying rate” shall have the meaning as assigned to it in the Explanation to rule 26;

(v) “observable price” in respect of a share quoted on a stock exchange shall be the higher of the following:-

(a) the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on the said stock exchange during the six months period preceding the specified date; or

(b) the average of the weekly high and low of the closing price of the shares quoted on the said stock exchange during the two weeks preceding the specified date;

(vi) “book value of the liabilities” means the value of liabilities as shown in the balance-sheet of the company or the entity as the case may be, excluding the paid-up capital in respect of equity shares or members’ interest and the general reserves and surplus and security premium related to the paid up capital .

(vii) “specified date” shall have the meaning as assigned to it in clause (d) of Explanation 6 to clause (i) of subsection (1) of section 9;

(viii) the terms “merchant banker” and “recognised stock exchange” shall have the meaning as assigned to them in rule 11U;

(ix) “balance sheet”,-

(a) in relation to an Indian company, means the balance-sheet of such company (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the specified date which has been audited by the auditor of the company appointed under the laws relating to companies in force; and

(b) in any other case, means the balance-sheet of the company or the entity (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the specified

date and submitted to the relevant authority outside India under the laws in force of the country in which the foreign company or the entity is registered or incorporated: Provided that where the balance-sheet as on the specified date is not drawn up, pending finalisation of accounts, as mentioned in clauses (a) and (b), the balance sheet shall mean an interim balance-sheet drawn up as on the specified date and approved by the board of directors of the company or an equivalent body in case of any other entity:

Provided further that where the specified date is the date referred to in sub-clause (ii) of clause (d) of Explanation 6 to clause (i) of subsection (1) of section 9, the balance sheet means the balance sheet as drawn up on the specified date and certified by an accountant.

11UC. Determination of Income attributable to assets in India.-(1) The income from transfer outside India of a share of, or interest in, a company or an entity referred to in clause (i) of subsection (1) of section 9, attributable to assets located in India, shall be determined in accordance with the following formula, namely: –

$$A \times \frac{B}{C}$$

Where;

A = Income from the transfer of the share of, or interest in, the company or the entity computed in accordance with the provisions of the Act, as if, such share or interest is located in India;

B = Fair Market Value of assets located in India as on the specified date, from which the share or interest referred to in A derives its value substantially, computed in accordance with rule 11UB;

C = Fair Market Value of all the assets of the company or the entity as on the specified date, computed in accordance with rule 11UB:

Provided that if the transferor of the share of, or interest in, the company or the entity fails to provide the information required for the application of the aforesaid formula then the income from the transfer of such share or interest attributable to the assets located in India shall be determined in such manner as the Assessing Officer may deem suitable.

(2) The transferor of the share of, or interest in, a company or an entity that derives its value substantially from assets located in India, shall obtain and furnish along with the return of income a report in Form No. 3CT duly signed and verified by an accountant providing the basis of the apportionment in accordance with the formula and certifying that the income attributable to assets located in India has been correctly computed.”.

3. In the said rules, after rule 114DA, following rule shall be inserted, namely: -

“114DB. Information or documents to be furnished under section 285A.-(1) Every Indian concern referred to in section 285A shall, for the purposes of the said section, maintain and furnish the information and documents in accordance with this rule.

(2) The information shall be furnished in Form No. 49D electronically under digital signature to the Assessing Officer having jurisdiction over the Indian concern within a period of ninety days from the end of the financial year in which any transfer of the share of, or interest in, a company or entity incorporated outside India (hereafter referred to as “foreign company or entity”) referred to in Explanation 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 has taken place:

Provided that where the transaction in respect of the share or the interest has the effect of directly or indirectly transferring the rights of management or control in relation to the Indian concern, the information shall be furnished in the said Form within ninety days of the transaction.

(3) The Indian concern shall maintain the following along with its English translation, if the documents originally prepared are in foreign languages and produce the same when called upon to do so by any income-tax authority in the course of any proceeding to substantiate the information furnished under sub-rule (2), namely: -

- (i) details of the immediate holding company or entity, intermediate holding company or companies or entity or entities and ultimate holding company or entity of the Indian concern;
- (ii) details of other entities in India of the group of which the Indian concern is a constituent ;
- (iii) the holding structure of the shares of, or the interest in, the foreign company or entity before and after the transfer;
- (iv) any transfer contract or agreement entered into in respect of the share of, or interest in, any foreign company or entity that holds any asset in India through, or in, the Indian concern;
- (v) financial and accounting statements of the foreign company or entity which directly or indirectly holds the assets in India through, or in, the Indian concern for two years prior to the date of transfer of the share or interest ;
- (vi) information relating to the decision or implementation process of the overall arrangement of the transfer;
- (vii) information in respect of the foreign company or entity and its subsidiaries, relating to, -
 - (a) the business operation;
 - (b) personnel;
 - (c) finance and properties;
 - (d) internal and external audit or the valuation report, if any, forming basis of the consideration in respect of share, or the interest;
- (viii) the asset valuation report and other supporting evidence to determine the place of location of the share or interest being transferred;
- (ix) the details of payment of tax outside India, which relates to the transfer of the share or interest;
- (x) the valuation report in respect of Indian asset and total assets duly certified by a merchant banker or accountant with supporting evidence;
- (xi) documents which are issued in connection with the transactions under the accounting practice followed.

(4) Where there are more than one Indian concerns that are constituent entities of a group, the information may be furnished by any one Indian concern, if, -

- (i) the group has designated such Indian concern to furnish information on behalf of all other Indian concerns that are constituent of the group, and
- (ii) the information regarding the designated Indian concern has been conveyed in writing on behalf of the group to the Assessing officer:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall have effect if the designated Indian concern fails to furnish the information in accordance with the provisions of this rule.

(5) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedure for electronically filing of Form No. 49D and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the information so furnished under this rule.

(6) The information and documents specified in sub-rule (3) shall be kept and maintained for a period of eight years from the end of relevant assessment year.

Explanation: For the purposes of this rule,-

- (i) “constituent entity” shall have the meaning as assigned to it in clause (d) of sub-section (9) of section 286;
- (ii) “group” shall have the meaning as assigned to it in clause (e) of sub-section (9) of section 286;
- (iii) “intermediate holding company or entity” means a company or an entity that has controlling interest in another company or entity and is itself controlled by, or is subsidiary of, another company or entity;
- (iv) “immediate holding company or entity” means the company or the entity that directly maintains the controlling interest in the Indian concern;
- (v) “ultimate holding company or entity” means a company or an entity that has ultimate control of the Indian concern directly or indirectly and such company or entity is not itself controlled by, or is subsidiary of, any other company or entity.”.

4. In the said rules, in Appendix II, -

(a) after Form No. 3CS, the following Form shall be inserted, namely: -

“FORM NO. 3CT

[See rule 11UC]

**Income attributable to assets located in India
under section 9 of the Income-tax Act, 1961**

* I/We have examined the accounts and records of M/s**

(name and address of the assessee) having PAN being transferor of the share of, or interest in, (name of company or entity incorporated outside India) # referred to in Explanation 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 during the previous year ended on

* I/We have obtained all the information and explanations which to the best of my/our* knowledge and belief were necessary for the purposes of ascertaining the income of the said assessee attributable to the assets located in India .

* I/We certify that in respect of the assessment year the income deemed to accrue or arise in India to the assessee on transfer of share/interest* in the above mentioned company/entity* is Rs. which has been worked out on the basis of the details given in the Annexure to this form. In my/our* opinion and to the best of my/our* information and according to the explanations given to me/us* the particulars given in the Annexure are true and correct.

Date .

Signed

‡ Accountant

Membership No. _____

Notes :

1. *Delete whichever is not applicable.
2. **Here given name and address.
3. ‡ This report is to be given by— an accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288.
4. # if transfer is of shares of, or interest in, more than one company or entity in a previous year, details to be given in respect of each such company or entity.
5. Where any of the matter stated in this report is answered in negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.

ANNEXURE**1. Company/entity wise breakup of consideration received for transfer of share or interest:**

Sr.No	Name of the company /entity	Quantum of share/interest transferred	Cost of acquisition of share /interest	Date of transfer	Consideration received

2. Income derived from transfer of share or interest. (company/ entity wise details)
Rs.....
3. Value of assets located in India from which the share or interest derives its value (company/ entity wise details): Rs.....
4. Value of global assets of the company or the entity(company/entity wise details) :
Rs.....
5. Income attributable to assets located in India(company/ entity wise breakup and aggregate)Rs.....
6. Details of the method employed for arriving at the value of assets in item 3 and 4.
7. Details of the documents and valuation report, if any, relied upon
8. Remarks including any assumption made.”;

(b) after Form 49C, the following Form shall be inserted, namely: -

“FORM NO. 49D
[see Rule 114DB]

Information and documents to be furnished by an Indian concern under section 285A

To
The Assessing Officer

PART A

1.	Name and address of the Indian concern	
2.	Status [whether company, LLP/firm/permanent establishment etc.]	
3.	Residential status	
4.	Permanent Account Number	
5.	Previous Year	
6.	Assessment Year	
7.	Whether the Indian concern has been designated to provide information on behalf of the group: If yes,- (i) provide details of all the Indian concerns which are constituent of the group : (a) Name (b) PAN (c) Address (ii) if the information is being furnished on behalf of any Indian concern(s) details of such concern (s) : (a) Name (b) PAN (c) Address	Yes/No
8.	Details of immediate holding entity, intermediate holding entity and ultimate holding entity, - (A) Immediate holding entity: - (a) Name (b) Country of incorporation (c) Country of which it is tax resident (B) Intermediate holding entity: - (a) Name (b) Country of incorporation (c) Country of which it is tax resident (C) Ultimate holding entity: - (a) Name (b) Country of incorporation (c) Country of which it is tax resident	
9.	(a) Whether share of, or interest in, any company or entity derives its value substantially from assets located in India, which are held in, or through, the Indian concern; (b) If yes, give details of the company (ies) or entity (ies).	Yes/No

PART B

[To be filled into report the transaction resulting in transfer of right of management or control]

10.	Whether any transaction in respect of share of, or interest in, any company or entity referred to in 9 has the effect of transferring the right of management or control over the Indian concern.	Yes/No
-----	---	--------

	If yes give following details: - (i). Name of the company or entity (ii). Details of the transactions including consideration for such transaction (iii). Name of transferor along with address (iv). Percentage share/interest transferred including percentage holding of transferor during the period of 12 months preceding the transfer (v). Details of the transferee along with address (vi). Holding structure in respect of shares of, or interest in, the company or entity before and after the transfer (vii). Financial and accounting statements of the company or the entity (viii). Basis of determining the location of share or interest being transferred (ix). Value and breakup of assets of the Indian concern immediately before the date of transfer (x). Basis of valuation of assets of the company or entity (xi). Details of supporting documents in respect of items (viii) and (x)	
--	---	--

PART C

[To be filled for reporting the information in respect of transfer of share/interest during the previous year]

11.	(a) Whether share of, or interest in, the company or entity referred to in 9 has been transferred during the previous year, the income from which is deemed to accrue or arise in India under the provisions of section 9(1). (b) If yes give details: - (i). Name of the company or entity (ii). Details of the transaction(s) (iii). Name of transferor along with address (iv). Percentage share/interest transferred including holding percentage of transferor during the period of 12 months preceding the transfer (v). Value of total assets of the company or the entity (vi). Details of transferee along with address	Yes/No
12.	Whether any transaction in respect of shares of, or interest in, any company or entity referred to in 9 has the effect of transferring right of management or control over the Indian concern. If yes give details. (i). Name of the company or entity (ii). Details of transactions including consideration (iii). Name of transferor alongwith address (iv). percentage share/interest transferred including holding percentage of transferor during the period of 12 months preceding the transfer (v). Details of transferee alongwith address (vi). Whether Form 49D was furnished in respect of the transaction If yes date of furnishing Form 49D ____/____/____	Yes/No Yes/No

	If No , - (a) reason for not furnishing the Form 49D (b) furnish the following details: (i). Holding chart in respect of shares of, or interest in, the company or entity before and after the transfer (ii). Financial and accounting statements of the company or entity (iii). Basis of determining location of share of, or interest in, the company or entity (iv). Value and breakup of assets of the Indian concern immediately before the date of transfer	
13.	Value and breakup of assets of the Indian concern, - (i). at the beginning of the year (ii). at the end of the year	
14.	Basis of valuation of assets referred to in items 11(v), 12(b) (iii) and (iv) and 13.	
15.	Details of supporting documents in respect of items 11(v), 12(b)(iii) and (iv) and 13.	

Signature of Authorised Signatory
Name

Verification

I, [full name in block letters] son/daughter of on behalf of the above mentioned Indian concern holding Permanent Account Number, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the Form is correct and complete and that the other particulars shown therein are truly stated. I further declare that I am submitting this Form in my capacity as and I am also competent to make this submission and verify it.
 Verified today the day of

Place:

Signature of Authorised Signatory
Name”.

[Notification No. 55 /2016/F. No. 142/26/2015-TPL]

NIRAJ KUMAR, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 3, Sub-section (i), vide notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and were last amended vide notification number S.O. 2213(E) dated the 27/06/2016.